न्यायालय : अपर जिला न्यायाधीश, जैतारण, जिला ब्यावर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुनील कुमार बिश्नोई, आर.जे.एस. (जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी मूल वाद संख्या (C.I.S. No.) : 174/2014 (34/2011)

प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

1. हजारीराम पुत्र रावताराम के कायम मुकाम–

1/1 बाबुलाल पुत्र हजारीराम,

1/2 जगदीश पुत्र हजारीराम,

निवासीगण ग्राम मुडावा, तहसील जैतारण जिला ब्यावर (राज.)

1/3 सीता पुत्री हजारीराम, निवासी बलाडा, तहसील जैतारण जिला ब्यावर (राज.)

1/4 जेयना पुत्री हजारीराम, निवासी जैतारण, तहसील जैतारण जिला ब्यावर (राज.)

1/5 नेमाराम दोहिता हजारीराम पुत्र पुखराज,

1/6 कैलाश दोहिता हजारीराम पुत्र पुखराज,

1/7 सुरेश दोहिता हजारीराम पुत्र पुखराज,

1/8 सतू दोहिती हजारीराम पुत्री पुखराज,

1/5 से 1/8 तक सेणकी पुत्र हजारीराम के वारिसान निवासीगण भूम्बलिया, तहसील जैतारण जिला ब्यावर (राज.)

1/9 तुलसा पुत्री हजारीराम पत्नी धोकलराम, निवासी मुरकासनी, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर।

2. सोहनलाल पुत्र साकलाराम, निवासी कोलीवाडा, तहसील सुमेरपुर, हाल निवासी जैतारण जिला ब्यावर, राज.।

3. बुधा खां पुत्र गफुर खां, निवासी मुडावा, तहसील जैतारण जिला ब्यावर (राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण/वादीगण :

01. हरदेव पुत्र हजारीराम, निवासी मुडावा, तहसील जैतारण जिला ब्यावर (राज.)

02. जयराम पुत्र हजारीराम के कायम मुकाम–

2/1 कमली पत्नी जयराम,

2/2 सरोज पुत्री जयराम,

2/3 सुनिता पुत्री जयराम,

2/4 पिंकी पुत्री जयराम,

2/5 सुरेश उर्फ सुरेन्द्र पुत्र जयराम,

2/6 गंगा पुत्री जयराम, उम्र 15 वर्ष, कुदरती वली माता कमली, निवासीगण मुडावा, तहसील जैतारण जिला ब्यावर (राज.)

03. चिमनाराम पुत्र हजारीराम, निवासी मुडावा, तहसील जैतारण जिला ब्यावर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं धारा 207, 256 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

01. श्री सुरेश कुमार चौधरी , विद्वान् अधिवक्ता – प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से।
02. श्री डूंगरसिंह राठौड, विद्वान् अधिवक्ता – अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से।

आदेश **दिनांक : 20.05.2026**

01. इस आदेश द्वारा प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 3 व अन्य की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं धारा 207, 256 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 का निस्तारण किया जा रहा है।

02. प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 3 व अन्य की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता इस आशय का पेश किया गया कि हस्तगत वादपत्र रद्द घोषित करने पंजीबद्ध विक्रय विलेख 18.03.2011 व 09.05. 2011, कब्जा दिलाने प्लोट तथा स्थाई एवं आज्ञापक निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया है। वादपत्र में अभिवचन है कि वादीगण व प्रतिवादीगण सभी रावताराम के वंशज होकर वादग्रस्त संपत्ति हिन्दू सहदायिकी संपत्ति होने से खसरा नंबर 181 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा भूमि में 1/2 हिस्सा रावताराम का है। रावताराम का देहांत होने के बाद ऐसी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 हजारीराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है। वादीगण द्वारा दावा सहदायिकी संपत्ति घोषित करते हुए पंजीबद्ध विक्रय विलेख निरस्त करवाने, कब्जा दिलवाने एवं स्थाई तथा आज्ञापक निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहते हुए प्रस्तुत किया है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के तहत इस अधिनियम की तृतीय अनुसूची के अधीन आने वाले वाद के सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को होगा तथा राजस्व न्यायालय से भिन्न अन्य कोई सिविल न्यायालय ऐसे मामलों का संज्ञान नहीं करेगा।

आगे ये भी कथन है कि हस्तगत वाद में यह स्वीकृतशुदा विधिक स्थिति है कि राजस्व भूमि के संबंध में खातेदारी हक अधिकारों का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 व 256 के तहत राजस्व न्यायालय को प्राप्त है तथा राजस्व न्यायलय के समक्ष अपने खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा वादीगण द्वारा नहीं करवाई गई है। घोषणा का अनुतोष मुख्य अनुतोष होने से वाद विधि द्वारा वर्जित होकर नामंजूर किये जाने योग्य है।

03. अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त अचल भूमि रावताराम की होने बाबत वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के खण्डन में प्रतिवादी की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। वादीगण की ओर से पंजीबद्ध विक्रय विलेख को रद्द घोषित करवाने का दावा पेश किया है, न कि सहदायिकी संपत्ति घोषित करवाने का। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के तहत वाद विधि द्वारा वर्जित नहीं होकर अधिनियम के तृतीय अनुसूची में दस्तावेज को अवैध घोषित करवाने बाबत होने से ऐसे अधिकार दीवानी न्यायालय को है। वादग्रस्त भूमि का कब्जा उपखण्ड अधिकारी द्वारा मनमर्जी से प्रतिवादी संख्या 3 से

मिलीभगती कर वादीगण को बेदखल कर दिया, जो कब्जा पुनः प्राप्त करने हेतु पेश किया गया, जो एक अतिरिक्त अनुतोष है, जो दीवानी न्यायालय ऐसा कब्जा दिलाये जाने हेतु सक्षम है।

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पूर्व में वादपत्र के क्षेत्राधिकार के पद संख्या 10 के जवाब में मात्र यह उल्लेख किया है कि वादपत्र का पद संख्या 10 कानूनी है, जो काबिल गौर अदालत के है, पूर्व में ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा अपने जवाबदावे से हटकर प्रार्थना पत्र में अन्य तथ्य प्रकट किये गये है, जो कि स्वयं के अभिवचनों के परे होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वादीगण/अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

04. बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए अपने तर्कों के समर्थन में प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से न्यायिक दृष्टांत AIRONLINE 2019 SC 2377 [Pyarelal Vs Shubhendra pilania (Minor) Through] तथा वादीगण/अप्रार्थीगण की ओर से न्यायिक दृष्टांत निम्न प्रस्तुत किये गय–

1. AIR 1990 SUPREME COURT 540 [Smt. Bismillah Vs Janeshwar Prasad & ors.]
2. RLW 1990 (2) Raj. 233 [Bhanwaroo Khan Vs Azim Khan]
3. AIR 1979 Raj. 149 [Badrilal & Anr. Vs Moda & ors.]
4. AIR 1982 Raj. 91 [Gurucharansingh & Ors.Vs Gurdayal Kaur]
5. 2025(1) DNJ (Raj.) 214 [Laxman Singh Vs Sayar Singh & Ors.]

05. उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

06. हस्तगत प्रकरण इस न्यायालय में सन् 2011 से विचाराधीन है तथा पूर्व में विवाद्यक दिनांक 14.05.2013 को विरचित किये जाने के पश्चात वादी एवं प्रतिवादी की साक्ष्य पूर्ण होकर पत्रावली बहस अंतिम के चरण पर आने के पश्चात हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। हस्तगत वाद में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है, जो वादग्रस्त संपत्ति पैतृक संपत्ति होने के स्पष्ट अभिवचन है तथा ऐसी संपत्ति में जन्म से ही हित न्यगत (Devolve) हो चुके है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जहां तक न्यायिक दृष्टांत AIRONLINE 2019 SC 2377 [Pyarelal Vs Shubhendra pilania (Minor) Through] प्रस्तुत किया गया है, का अवलोकन किये जाने पर हस्तगत वाद में जिन विवाद्यकों का अवधारण किया जाना है, वह मात्र यह है कि वादग्रस्त संपत्ति वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति होने से प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख निरस्त करवाये जाने के वादीगण अधिकारी है। चूंकि वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है तथा वादीगण की ओर

से वादग्रस्त संपत्ति संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति साबित किये जाने की दशा में ऐसी संपत्ति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत जन्म से ही हित न्यगत (Devolve) हो जाने से उसे पृथक से राजस्व न्यायालय से ऐसे खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाये जाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 242 के तहत भी ऐसे वादपत्र की सुनवाई का अधिकार केवल मात्र राजस्व न्यायालय को होकर विधि द्वारा वर्जित नहीं है। हस्तगत प्रकरण में जहां वादीगण की ओर से दिनांक 21.09.2011 को वाद प्रस्तुत किया गया है तथा प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत करने के पश्चात इस वाद के संपूर्ण न्याय निर्णयन हेतु जो विवाद्यक विरचित किये गये है, ऐसे विवाद्यकों में खातेदारी अधिकारो की घोषणा से संबंधित कोई विवाद्यक विरचित नहीं है तथा विधि की यह मंशा नहीं हो सकती की, जहां प्रतिवादी संख्या 1 के तीनों पुत्रों द्वारा अपने पिता के विरूद्ध वादग्रस्त संपत्ति को पैतृक संपत्ति बताते हुए अपने पिता द्वारा ऐसी संपत्ति के पंजीबद्ध विक्रय विलेख को निरस्त करवाये जाने हेतु प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित मानते हुए इसे नामंजूर कर दिया जावे। अतः यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से लगभग 15 वर्षों के विचारण के पश्चात बहस अंतिम के चरण पर मात्र वाद को विलंबित करने के आशय से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 जिन दो पंजीबद्ध विक्रय विलेखों को निरस्त करवाने जाने हेतु वाद प्रस्तुत है, जिनका एक क्रेता मात्र है तथा प्रतिवादी संख्या 1 हजारीराम के किसी भी विधिक प्रतिनिधि द्वारा ऐसा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

फलतः उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं धारा 207 व 256 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 अस्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

07. परिणामतः प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 3 बुधा खां व अन्य की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं धारा 207 व 256 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 अस्वीकार किया जाता है।

(सुनील कुमार बिश्नोई)
अपर जिला न्यायाधीश, जैतारण,
जिला ब्यावर

08. आदेश आज दिनांक 20.05.2026 को लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार बिश्नोई)
अपर जिला न्यायाधीश, जैतारण,
जिला ब्यावर